अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2020 (GCMS 2020/00058) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. एवं आयुक्त नगरपरिषद, श्रीगंगानगर

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 14.11.2019 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे बिन्दुवार उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी। सूचना का सम्बन्ध नगरपरिषद्, श्रीगंगानगन से होने के कारण उन्हानें पने पत्र दिनांक 26.11.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2019 से निम्न सूचना चाही थीः

राशनकार्ड क्रमांक 4083–बी–323 श्रीमती गंगादेवी निवासी 23–के ब्लॉक, श्रीगंगानगर के नाम की सूचना व राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति।

आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 9114 दिनांक 05.03.2020 से अपील का जवाब इस न्यायालय को प्रेषित किया है एवं प्रति अपीलार्थी को भिजवाई है। आयुक्त नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विष्यान्तर्गत अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 1980 में बी.पी. एल. राशनकार्ड प्रचलित ही नहीं थे। अतः इनका रिकॉर्ड नगर परिषद् में उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1980 में ए.पी.एल. राशनकार्ड भी इस कार्यालय द्वारा नहीं बनाये गये थे।

अतः इससे सम्बन्धित रिकार्ड भी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण अपीलार्थी को सूचना नहीं दी जा सकती है।

-sd-
आयुक्त
नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2019 का जवाब आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगगानगर द्वारा उक्तानुसार दिनांक 05.03.2020 को दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयुक्त नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता नियुक्त नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी यदि आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर के उत्तर से अप्रसन्न है तो उनके सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर